माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल
(मध्य प्रदेश विधनसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Set up by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक / परीक्षा–1 / Dec. 2024-Jan.25/ 5921 भोपाल, दिनांक 25 / 10 / 2024

## :: संशोधित अधिसूचना ::

विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा अधिसूचना क्रमांक Exam-1/Dec-24-Jan 2025/5861 Dated 07.10.2024 जारी की गई थी। जिसमें परीक्षा फार्म एम.पी.ऑनलाईन लिमिटेड के माध्यम से ऑनलाईन भरे जाने की **अंतिम तिथि 05 नवंबर, 2024** एवं **500 रूपये विलम्ब शुल्क** के साथ **12 नवंबर, 2024** निर्धारित की गई थी।

परीक्षा अधिसूचना "(विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21 अक्टूबर 2024 (विधापरिषद के मिनट्स) के आधार पर प्रति सेमेसटर 750/– से बड़ाकर 900/– एवं जिन पाठ्यक्रमों की परीक्षा फीस 1000/– से बडाकर राशि रू 1200/– निर्धारित की गयी थी)" के आधार पर जारी की गयी थी।

**सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षा फीस केवल इस परीक्षा सत्र दिसंबर 24–जनवरी 2025 के लिए समस्त स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं पोस्ट ग्रेज्यूएट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की परीक्षा फीस 900/– के स्थान पर 750/– एवं जिन 1200/– के स्थान पर राशि रू 1000/– अर्थात पूर्ववत् रखी जाकर परीक्षा फार्म भरे जाने की तिथि में निम्नानुसार बृद्धि की जाती है :–**

| S. No. | Particulars | Date of Link Open (Exam Forms) by Associated Study Institutes |
|---|---|---|
| A | Students enrolled in July 2024 Session and before. | 20 November 2024 |
| B | With Late Fee of Rs. 500/- Per Form | 25 November 2024 |

शेष नियम एवं शर्तें पूर्व में परीक्षा सत्र **जनवरी 2025** के लिए जारी परीक्षा अधिसूचना क्रमांक Exam-1/Dec-24-Jan 2025/5861 Dated 07.10.2024 के अनुसार रहेंगी। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी आवश्यक रूप से उक्त तिथि में अपना परीक्षा फार्म भर लेवे।

(डॉ. अविनाश बाजपेयी)
कुलसचिव

भोपाल, दिनांक 25 / 10 / 2024

क्रमांक क्रमांक / परीक्षा–1 / Dec. 2024-Jan.25/ 5922

**प्रतिलिपि :–**

1. निज सहायक कुलपति, कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभाग / समस्त परिसर प्रभारी भोपाल / नोएडा / खण्डवा / रीवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. निदेशक, ए.एस.आई. को सूचनार्थ। कृपया संशोधित अधिसूचना से सभी संबंद्ध अध्ययन संस्थाओं को अवगत करायें।
4. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सहायक कुलसचिव, गोपनीय / परीक्षा / नामांकन / मूल्यांकन / उपाधि शाखा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संचालक, एम.पी ऑनलाईन लिमिटेड को सूचनार्थ। कृपया समस्त पाठ्यक्रमों के नियमित एवं बैकलॉग विद्यार्थीयों के परीक्षा फार्म भरने हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि में **लिंक ओपन** करे एवं इसकी सूचना संबंद्ध अध्ययन संस्थाओं के अधिकृत मेल पर प्रेषित किए जाने की व्यवस्था भी करें।
8. समस्त संचालक / प्रभारी, संबंद्ध अध्ययन संस्था को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(डॉ. अविनाश बाजपेयी)
कुलसचिव



IN FRONT OF M.P. STATE SHOOTING ACADEMY, BISHANKHEDI, BHOPAL, M.P. 462044
website – www.mcu.ac.in